



फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/51/2023-2024

11 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

श्री शंभु प्रसाद
“संयोजक” भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा,
लौंद, सिरदला, नवादा
बिहार-805114

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 04.10.2023 का पत्र जो की इस सचिवालय में 10.10.2023 को प्राप्त हुआ है। जिसके साथ आपने दस रुपये का पो.ऑ. सं. 60एफ़ 444877 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपने अपने आवेदन दिनांक 29.09.2023 पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है।

आपको सूचित किया जाता है कि आप का 29.09.2023 का आवेदन इस सचिवालय में 05.10.08.2023 को प्राप्त हुआ है, जिसमें उप-राष्ट्रपति सचिवालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई किया जाना शेष है।

(राजेश कुमार शर्मा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

rticell-vps@nic.in

सुचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

प्रपत्र क (नियम 3(1) देखे आइ0 डी0 सं0 (कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,

लोक सुचना पदाधिकारी,

(विभाग/कार्यालय)

1. ~~महोदय~~ उपराष्ट्रपति, ~~भारत सरकार~~, नई दिल्ली

नई दिल्ली



1. आवेदक का नाम - शंभु प्रसाद, संयोजक-भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा, सह पूर्व नवादा जिला परिषद सदस्य(2011-2016)

2. पुरा पता-ग्राम+पो0-लौन्द, थाना-सिरदला, जिला-नवादा, बिहार। पिन-805114

3. मांगी गई सुचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

महामहिम उपराष्ट्रपति भारत सरकार, नई दिल्ली को संबोधित रजिस्टर्ड डाक सं0 RF211021109IN एवं मेल द्वारा शपथपत्र सहित आवेदन पत्र दिनांक 29/09/2023 को दी गई जो आपके कार्यालय द्वारा प्राप्त कि जा चुकी है। पर आजतक किं गई कार्यवाही प्रति की सुचना मुझे किसी भी माध्यम से नहीं दी गई है पर कि गई कार्यवाही प्रति कि सुचना, सुचना का अधिकार, 2005 के तहत, पढ़ान, करने, की, कृपा, कि, त्तरा, सुविधा हेतु मुल रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदन दिनांक 29/09/2023 की छायाप्रति एवं शुल्क के रूप में 10 रुपये का पोस्टल आर्डर क्रमांक 60एफ 44-4886 संलग्न कर रहा हूँ।

44-4886
444877

4 मैं एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी जानकारी में मांगी गई सुचना, सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अन्तर्गत नहीं हैं। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित हैं।

5. (1) मैंने ~~उपराष्ट्रपति~~ ~~भारत सरकार~~ ~~नई दिल्ली~~ ~~से~~ ~~संबंधित~~ ~~सुचना~~ ~~का~~ ~~अधिकार~~ ~~अधिनियम~~ ~~2005~~ ~~के~~ ~~अनुच्छेद~~ ~~8~~ ~~एवं~~ ~~9~~ ~~के~~ ~~अन्तर्गत~~ ~~नहीं~~ ~~हैं~~ ~~।~~ ~~यह~~ ~~आपके~~ ~~विभाग~~ ~~/कार्यालय~~ ~~से~~ ~~संबंधित~~ ~~हैं~~ ~~।~~ ~~रूपये(शब्दों में)~~ ~~60F-444866~~ ~~हैं~~ ~~।~~

तिथि 04/10/2023

को रसीद सं0

आवेदक के पत्राचार का पुरा पता

ग्राम+पो0-लौन्द, थाना-सिरदला

जिला-नवादा, बिहार, पिन-805114

शंभु प्रसाद
4-10-2023

आवेदक का हस्ताक्षर

ईमेल-prasadshambhu848@gmail.com

स्थान-लौन्द

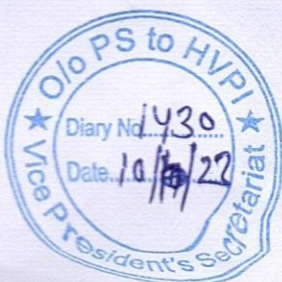
तिथि 04/10/2023

दुरभाष सं0 9934639471, 9113405271

शंभु प्रसाद "संयोजक"

भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा

लौन्द, सिरदला, नवादा जिला



सेवा में,

श्री जगदीप धनकड जी,

महामहिम उपराष्ट्रपति

भारत सरकार, नई दिल्ली ।

विषय- commit. Pet.(c) No. 867/2023 in T.P. (c) No. 2419/2019 Item No 16
का सुनवाई दिनांक 26/09/2023 में कि नई मौखिक आदेश आज में चुप है, क्यों कि अदालत
जिसमें नई चुप का लक्ष्य था है, अदालत में चुप नहीं चुप होने में चुप चुप करने में
होने में सोचा था, लेकिन अदालत ने नया मौखिक केवल सात दिन का समय मांग रहे हैं
इसलिए मैं चुप की एक रहा हूँ। मैं इष्ट एवं अपराधिक आचरण का भाषा बोलने वाले
न्यायमूर्ति संजय किशान कौल एवं अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के खिलाफ
महाभियोग चलाने के संबंध में।

महाशय,

सचिनारा निवेदन यह है कि मैं 2017 में स्वयं अपने हस्ताक्षर से भारतीय
संविधान की भाषा हिन्दी में एसएलएमपी(सिविल) सं० 12249/2017 दाखिल किया था
जिसका अवैधानिक एवं दौषियों को बचाने के नियत से मोरे उक्त एसएलएमपी(सिविल) सं०
12249/2017 को मानमानीपूर्ण तरीके से दिनांक 10/09/2018 को खारिज कर दी गई थी
जिसके आलोक में मैं दिनांक 07/11/2018 को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51क के
तहत सिमल नोटिश न्यायमूर्ति संजय किशान कौल सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को कि गई
थी और तत्पश्चात इस संबंध में आमतौर से कहीं आवेदन लगातार सम्पन्न सहित आवेदन
मा० सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, आपके कार्यालय सहित बिहार सरकार एवं भारत सरकार
के सारे जिम्मेदार कार्यालय सहित जिम्मेदार न्यायालय बांगी मेल सहित, रजिस्टर्ड डाक द्वारा
भेजी जा रही है। जिसके आलोक में मा० सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के Gaekwad
गाववाडकराहा के साइड पर 2018 से आज तक सैकड़ों बाद दर्ज कि जा चुके हैं जिससे देखा
जा सकता है। इष्ट एवं अपराधिक आचरण का भाषा बोलने वाले न्यायमूर्ति संजय किशान कौल
एवं अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली ने commit. Pet.(c) No. 867/2023 in
T.P. (c) No. 2419/2019 Item No 16 का सुनवाई दिनांक 26/09/2023 में कि नई
मौखिक आदेश (आज में चुप है, क्यों कि अदालत ने बहुत कम समय मांगा है, अदालत
द्वारा में चुप नहीं रहूंगा मैंने बहुत बुरा करने के बारे में सोचा था, लेकिन अदालत ने जनरल

जिम्मेदार
00-9-2023

(2)

क्योंकि केवल सात दिन का समय बाँटा रहे हैं, इसलिए मैं खुद को संकट में नहीं मानती। मैं कहती हूँ कि हमारा देश के सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के कई न्यायमूर्तों को क्या हो गया है कि देश के लोकप्रिय, एवं विश्वप्रसिद्ध, संवैधानिक नरिने ने नियमित सत्र न्यायालय के खिलाफ जानबुझकर अपने न्यायीक पद का अपराधिक प्रयोग करते हुए एक सुनियोजित अपराधिक साजिश के तहत भारत सरकार के खिलाफ एक अस्सी की तरह बयार किया जा रहा है और वो भी ऐसे माद सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के न्यायमूर्तों के द्वारा जो खुद अपने न्यायीक पद का अपराधिक प्रयोग करते हुए रसदपत्र (विधि) को 128/2017 ने जो आदेश पारित कि गई है उससे इस बार के अपराधियों को संरक्षण प्राप्त हुआ है किन्तु आलोचकों में मैं स्वयं दिनांक 07/11/2018 को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51क के तहत लिमल नोटिश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को कि गई थी जिसका आज तक माद सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा कोई प्रभावी विधिकार्यवाही किसी भी पक्ष के खिलाफ नहीं कि गई है जिससे प्रमाणित होता है नोटिश आवेदन में दत्त सारी बातें सत्य वो सही हैं के आलोचकों में भ्रष्ट एवं अपराधिक आचरण का भाषा बोलने वाले न्यायमूर्ति संजय किशन कौल एवं अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के खिलाफ अविलंब महाभियोग चलाने का आदेश पारित करने की कृपा कि जाय। इस संबंध में दिनांक 07/11/2018 को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51क के तहत लिमल नोटिश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली का छायाप्रति एवं अविलंब वैधानिक कार्यवाही करने हेतु शपथपत्र संलग्न कर रहा हूँ।

दिनांक-29/09/2023

प्रतिलिपि-

1. महामहिम राष्ट्रपति
भारत सरकार नई दिल्ली।
2. माद प्रधानमंत्री
भारत सरकार नई दिल्ली।
3. माद केन्द्रिय विधिमंत्री
भारत सरकार नई दिल्ली।
4. माद अध्यक्ष लोकसभा
भारत सरकार नई दिल्ली।
को सुबनार्थ एवं अतिआवश्यक
विधिसम्मत कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आपका विश्वासी

शंभु प्रसाद
29-9-2023

अध्यक्ष मुक्ति मोर्चा

लौन्द, सिरदला, नवादा (बिहार)

मोड 91113405271, 9934639471

आधार नं 9111670512346

पिन-805114

शंभु प्रसाद "संयोजक"
अध्यक्ष मुक्ति मोर्चा
लौन्द, सिरदला, नवादा (बिहार)